

वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर

प्रेषक,

कुलसचिव,
वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय,
जौनपुर।



पत्रांक: पु.वि.वि./सम्बद्धता/02-(एक)/2015/1042

दिनांक: 10.05.2015

सेवा में,

प्रबन्धक,
सम्बन्धन दामोदर महाविद्यालय,
कसार, मऊ।

विषय - बीएड (टिचरी) पाठ्यक्रम के संचालन हेतु महाविद्यालय को सम्बद्धता प्रदान किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषय के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या-1103(1)/सत्तर-6-2014-2(97)/2014, दिनांक-01 अगस्त, 2014 जिसके द्वारा तैलिक सत्र 2014-15 से नवीन महाविद्यालयों/पूर्व में संचालित महाविद्यालयों में नवीन पाठ्यक्रमों के संचालन हेतु उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय (द्वितीय संशोधन) अधिनियम 2014 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-14 सन् 2014) द्वारा उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 की धारा 37 (2) के परन्तुक के अधीन राज्य सरकार की सम्बद्धता की पूर्वानुमति दिये जाने के उपबन्ध को सम्बन्ध कर दिया है, के क्रम में विश्वविद्यालय के कार्यकारी बोर्डक दिनांक-28.04.2015 के कार्यसूची संख्या-08 पर दिये गये निर्णय के अन्तर्गत में सम्बन्ध दामोदर महाविद्यालय, कसार, मऊ को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बीएड (टिचरी) पाठ्यक्रम (द्वितीय) में 100 सीटों की प्रवेश क्षमता सहित स्ववित्तपोषित सौजन्यसंगत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक-01.07.2015 से आगामी दो वर्षों हेतु सम्बद्धता प्रदान की जाती है:-

1. महाविद्यालय शासनादेश संख्या-2851/सत्तर-2-2003-16(82)/2002, दिनांक-02 जुलाई, 2003 में उल्लिखित सुसंगत दिनांक-निर्देशों एवं इस विषय में समय-समय पर निर्गत अन्य शासनादेशों का पालन करेगी।
2. शासनादेश संख्या-5287/70-2-2005-2(166)/2002 टी.सी. दिनांक-18.11.2005 एवं शासनादेश संख्या-5125/70-2-2005-2(166) 2002, दिनांक-21.10.2005 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जावेगा।
3. महाविद्यालय/संस्थान द्वारा बीएड पाठ्यक्रम में शासन/एन.टी.टी. जयपुर द्वारा अनुमत्य समस्त सीटों को सुसंगत अद्यतन शासनादेशों के अनुसार किसी सैद्धांतिक सत्र में होने वाली संयुक्त प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित एवं काउन्सिलिंग के माध्यम से आवेदित अभ्यर्थियों के माध्यम से ही भरा जाएगा तथा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार सैद्धांतिक दिवसों में पाठन-पाठन कराया जावेगा।
4. संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।
5. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनिष्ठावली/अध्यक्षता में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जावेगा, तो उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 के प्राधान्यों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गयी सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
6. महाविद्यालय की भूमि की जाँच किये जाने हेतु सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा नामित अधिकारी को विश्वविद्यालय द्वारा जाँच हेतु प्रेषित पत्र पर प्राप्त जाँच आशय के अधीन होगी। इसमें किसी भी प्रकार की कोई छूट एवं तथ्य गोपन सम्बन्धी तथ्य प्रकाश में आने पर सम्बद्धता स्वतः समाप्त समझी जाएगी।
7. महाविद्यालय की वेबसाइट पर महाविद्यालय से सम्बन्धित समस्त सूचना अपलोड करेगी।
8. उक्त सम्बद्धता राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) से सम्बन्धित तथ्यों के सत्यापन के अधीन होगी।

भवदीय,


कुलसचिव

प्रतिनिधि-निम्नलिखित को सूचनायें प्रेषित।

1. सचिव, उच्च शिक्षा उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।
2. निदेशक, उच्च शिक्षा, उच्च शिक्षा निदेशालय 3090 इलाहाबाद।
3. क्षेत्रीय उच्च शिक्षा अधिकारी, बाराबंकी।
4. क्षेत्रीय निदेशक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, उत्तर क्षेत्रीय समिति, चौथी मंजिल, जीवन मिडि एलआईसी बिल्डिंग, अम्बेडकर हाईवे भवानी सिंह मार्ग, जयपुर-302005 (राजस्थान)।
5. परीक्षा नियंत्रक, वीर बहादुर सिंह पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जौनपुर।
6. टेक्निकल सेल, विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु।


कुलसचिव